



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07072021-228162
CG-MH-E-07072021-228162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2524]
No. 2524]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/ आषाढ़ 16, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

रेल मंत्रालय
(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 5 जुलाई, 2021

रेल्वे, अधिनियम 1989 की धारा 20 ए के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 2728(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989, (1989 का 24) एवं रेल्वे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना-III के अंतर्गत कल्याण - बदलापुर ३ रा और ४ था रेलवे मार्ग की विशेष रेल पारियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) उल्हासनगर जिल्हा ठाणे महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी और जाच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा समक्ष प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना-III A के अंतर्गत कल्याण - बदलापुर ३ रा और ४ था रेलवे मार्ग की विशेष की रेल परियोजना हेतु तालुका कल्याण - जिल्हा ठाणे में रेल सुधारित अधिनियम, 1989 एवं भूसंपादन रेलवे अधिनियम 2008, धारा 20(क) के अनुसार अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण..

अ. क्र.	जिल्हा	तालुका	गाव का नाम	सर्वे न	खरेदी से संपादन करनेका क्षेत्र (हेक्टर में)
1	ठाणे	कल्याण	काटेमानेवाली	100	0.04.20
				105/1	0.03.10
				105/2	
				108/1	0.00.10
				108/2	
				144/A/1	0.00.10
				144/A/2	
				144/C	
				144/B/1	
				144/B/2	
				111/A/1	0.01.80
				111/A/2	
				111/B	
				112/1	0.00.70
				112/2/114/2	
				112/2A	
				112/3	
2	ठाणे	कल्याण	खडेगोलवली	49	0.06.16
				51	0.00.50
				52/1	0.01.64
				52/2/A	0.01.33
				52/2/B	

				52/2/C	
				52/2/D	

[फा. सं. एमटी /डब्ल्यू /366/एमआरविसि -पीएच. IIIA)]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th July, 2021

Notification under section 20 A of the Railway Act, 1989

S.O. 2728(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act.) The Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution of the special Railway Project, namely, “Kalyan-Badlapur 3rd & 4th line under MUTP-III A Projects”, in Tahsil Kalyan, District Thane in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Sub-Divisional officer, Kalyan, District Thane, Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, for the Special Rly Project namely “3rd and 4th Line between Kalyan – Badlapur under MUTP IIIA” in Kalyan Taluka, District Thane in the state of Maharashtra under section 20 A of the Railway Act, 1989

Sr. No	District.	Taluka	Village	Survey No.	Land to be acquired (Hectors)
1	Thane	Kalyan	Katemanvali	100	0.04.20
				105/1	0.03.10
				105/2	
				108/1	0.00.10
				108/2	
				144/A/1	0.00.10
				144/A/2	
				144/C	
				144/B/1	
				144/B/2	

				111/A/1	0.01.80
				111/A/2	
				111/B	
				112/1	0.00.70
				112/2/114/2	
				112/2A	
				112/3	
2	Thane	Kalyan	Khadegolvali	49	0.06.16
				51	0.00.50
				52/1	0.01.64
				52/2/A	0.01.33
				52/2/B	
				52/2/C	
				52/2/D	

[F. No. MT /W/366/MRVC-PH.IIIA]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)